GCMS
2021
164

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ——उपखण्ड अधिकारी—— मुकाम ——चिड़ावा——
——राजेश मोदी——बनाम —— सरपंच ग्राम पंचायत चनाना——
किस्म मुकदमात—— ~~मुतफर्रकात~~ अपील ——नं.—— 04 ——सन —— 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिश्यिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
12.07.21	आज यह अपील बाद जांच रिपोर्ट पेश हुई। दर्ज रजिस्टर किया जावें। तलबी रेस्पोडेन्टस् हेतु प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल अपील भेजकर की जावें। नामान्तरकरण का रिकार्ड मंगवाने हेतु ग्राम विकास अधिकारी चनाना व पटवारी हल्का चनाना को तहरीर जारी हो। मिसल बईन्तजार रिकार्ड व तलबी तलबी हेतु दिनांक 10.08.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा	
10-8	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरिकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी [illegible] दीगर कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार बामन्दा दिनांक 12/10/21 को पेश हो।	
11-10-21	पत्रावली राजस्व शिविर-चनाना मे पेश हुई। रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 की तरफ से वकालतनामा व जवाब अपील प्रदीप एडवोकेट ने पेश किया। शामिल मिसल रहे। वकील पक्षकारान की अपील पर बहस सुनी गई। सरकार की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट का कथन है कि ग्राम-चनाना की सरहद मे स्थित कृषि भूमि खसरा नं० 429 रकबा 8.73 भूमि मे उक्त भूमि की खातेदारी विमला देवी ने जरिये हकत्याग पत्र दिनांक 9.8.2019 के द्वारा हकत्याग कर उक्त भूमि का मौखिक कब्जा अपीलान्ट को करा दिया था। तब से उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा स्वामित्व व अधिकार है। यह कि अपीलान्ट के हक मे उक्त वर्णित भूमि का हक त्यागपत्र अपीलान्ट के हक मे दिनांक 9-8-19 को पंजीबद्ध होने के बाद भूमि राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने के लिए [illegible] अपीलान्ट के हक मे हुआ हक त्याग [illegible] पटवारी चनाना को दिया [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिंला झुन्झुनूं (राज.)	प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 15:50:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के प्रस्ताव सं० 9 के द्वारा अपीलान्ट का उक्त नामान्तरकरण सं० 1695 मौके पर कब्जे के अभाव से नामान्तरकरण अस्वीकार कर दिया, जबकि अपील में वर्णित भूमि हक त्याग के रोज से अपीलान्ट के कब्जा, स्वामित्व व अधिकार में है। सरपंच ग्राम पंचायत चनाना व हल्का पटवारी चनाना ने गलत आधार पर अपीलान्ट का उक्त नामान्तरकरण सं० 1695 अस्वीकार किया है जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट यह अपील न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधार पर पेश कर रहा है अत: अपील

अपीलान्ट मय शपथ-पत्र व सत्य प्रतिलिपि नामान्तरकरण संख्या 1695 दिनांक 5-11-2019 पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रैस्पोडेन्ट नं० 1 का आदेश दिनांक 5-11-19 निरस्त किया जाकर रैस्पोडेन्ट नं० 2 को आदेशित किया जावे कि वह अपीलान्ट के हक में पंजीबद्ध हक त्याग दिनांक 8-9-19 के आधार पर हक त्याग में वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज करे। रैस्पोडेन्ट सं० 2 ने जवाब अपील पेश नहीं किया तीथी बहस की। रैस्पोडेन्ट सं० 1 ने जरिये वकील जवाब अपील पेश कर कथन किया है कि अपील की धारा नं० 1 जिस प्रकार लिखी है स्वीकार है। अपील में दर्ज भूमि खसरा नं० 429 रकबा 8.73 हे० भूमि की खातेदार बिमला देवी ने अपना हिस्सा मुख्तयार के जरिये अपीलान्ट के हक में जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग कर उक्त भूमि का मौके का कब्जा अपीलान्ट का कराना व उक्त भूमि पर अपीलान्ट का आज भी कब्जा होना स्वीकार है। यह भी अपील की धारा नं० 2 में दर्ज तथ्य कि अपीलान्ट के हक में वर्णित भूमि का हक त्याग पत्र दिनांक 9-8-2019 को पंजिबद्ध होने के बाद उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम दर्ज कराने के हक त्याग पत्र की एक प्रति हल्का पटवारी, चनाना (तत्कालीन) को देना तथा ग्राम पंचायत चनाना की बैठक दिनांक 5-1-19 के प्रस्ताव सं० 9 के द्वारा अपीलान्ट का उक्त नामान्तरकरण संख्या 1695 नामान्तरकरण अस्वीकार करना रिकार्ड के मुताबिक सही है। अपील में वर्णित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा हक त्याग के रोज था तथा आज भी कब्जा है जो बिना किसी बाधा व रुकावट [illegible] कि अपील में वर्णित भूमि पर हक त्याग पत्र के [illegible] अपीलान्ट का कब्जा आज तक निरन्तर [illegible] है। [illegible] पर आज भी अपीलान्ट का कब्जा है अपील [illegible] ग्राम पंचायत (रैस्पोडेन्ट) [illegible] आपत्ति एतराज नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 15:50:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़ावा

राजेश मोदी बनाम ग्राम पंचायत-चनाना

मुकदमा नं. ____ सन् ____

तारीख हुक्म	प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए ।
	अत: जबब अपील पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर नामान्तकरण सं० 1695 दिनांक 5-11-19 निरस्त किया जाकर अपील मे दर्ज भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट के नाम दर्ज करने मे (रेस्पोन्डेन्ट) ग्राम पंचायत-चनाना को कोई आपत्ति एतराज नही है पत्रावली मे वर्णित एवं रेस्पोन्डेन्ट सं० 1 के जवाब मे प्रस्तुत तथ्यो से वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा व स्वामित्व साबित होता है जबकि ग्राम पंचायत-चनाना द्वारा प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक 5-11-19 के द्वारा नामान्तरकरण सं० 1695 दिनांक 5-11-19 कब्जे के अभाव मे खारीज किया गया है जो कि गलत खारीज किया गया है अत: तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय/आदेश की पुष्टि कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सं० 9 दिनांक 5-11-19 नामान्तकरण सं० 1695 के विरुद्ध ग्राम पंचायत-चनाना के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ख० नं० 429 रकबा 8.73 अपीलान्ट के हक मे जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र का विधिवत नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड मे दर्ज [illegible] तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible] से कम भी जाकर बाद [illegible] हो) उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Chaudhary
Date: 2022.06.27 15:50:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner